Gold Recovered at IGIA

844. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether constant surveillance by the customs officials at IGIA resulted in a heavy yield of gold and foreign currency during the last three months amounting to over Rs. 1.5 crores, if so, the total gold or cash recovered at the Airport during this period;

(b) whether there have been a number of incidents when gold was kept in the aircraft by the staff of IA;

(c) whether the officials and staff of IA were involved in a number of eases;

(d) what action has been taken against those held responsible; and

(e) what action Government propose to take to check the smuggling?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Yes, Sir. Value of gold and foreign currency seized at IGIA during last three months i.e. from November, 1993 to January, 1994 is given below:

	Value in Rs.
Gold	1,33,99,706
Foreign currency	72,54,170
	2,06,53,876/-

(b) to (d) In one incident gold weighing 4807.2 grams valued at Rs. 22,52,712/- was seized from the Aircraft VT-A5A of Indian Airlines and one aircraft technician was found involved who has been arrested.

(e) Anti-smuggling activities have been further intensified at IGI Airport. Measures taken to curb smuggling include greater surveillance over sensitive areas at the airport, intensified intelligence collection, screening of baggage of passengers arriving on sensitive flights with the help of sophisticated equipments such as baggage X-ray machines and metal detectors and close coordination among all agencies concerned in the detection and prevention of smuggling.

बिहार के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता

845. श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त मंत्रालय के यूरोपीय आर्थिक समुदाय डिवीजन ने केन्द्रीय एजेंसी की हैसियत से चालू वर्ष के दौरान किन-किन परियोजनाओं के लिये यूरोपीय आर्थिक समुदाय के राष्ट्रों से बिहार के लिए परियोजना वित्त पोषण तथा अन्य सहयोग प्राप्त करने में मुख्य भूमिका निभायी है और उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनसे ये परियोजनाएं संबंधित हैं;

(ख) इन परियोजनाओं में कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है;

(ग) बिहार से संबंधित किन-किन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबदार अहमद): (क) से (घ) राज्य सरकारें भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभागों के जरिए बाह्य सहायता हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। उचित जांच करने के बाद प्रशासनिक विभाग वित्तीय सहायता हेतु बाह्य अभिकरणों को प्रस्तुत करने के लिए उक्त प्रस्तावों को आर्थिक कार्य विभाग को अनुशंसित करते हैं। वित्त मंत्रालय के ई०ई०सी० प्रभाग को बाह्य सहायता हेतु बिहार राज्य से संबंधित निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए:

(i) प्राथमिक विद्यालयों, बिहार में कार्य-अनुभव संबंधी प्रस्ताव जो 15.14 करोड़ रुपए की राशि के लिए यूरोपीय समुदायों के आयोग को प्रस्तुत किया गया।

(ii) बिहार शिक्षा परियोजना का महिला समाख्या संघटक जो 60 लाख रुपए हेतु नीदरलैण्ड सरकार को प्रस्तुत किया गया।

(iii) 431.13 करोड़ रुपए के लिए जर्मनी को प्रस्तुत पार्टिसिपेटरी आन-फार्म डेवलपमेंट परियोजना; और